

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/साप्र/सी/2773/भामा.सम्मान समारोह/2026

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

01. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय।
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
05. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषय :- राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 आयोजन हेतु आवेदन लेने के दिशा निर्देश के संबंध में।

प्रसंग :- राज्य सरकार का पत्रांक प.11(81) शिक्षा-6/2019 दिनांक 17.10.2025 एवं 29.04.2026 की पालना में।

निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/कॉलेज शिक्षा/संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक/उ.मा. विद्यालयों/राजकीय संस्कृत विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों में समय-समय पर दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में एक भव्य एवं गरिमापूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित कर इन्हें सम्मानित किया जायेगा।

राज्य सरकार के द्वारा जारी भामाशाह योजना दिशा-निर्देश दिनांक 17.10.2025 एवं 29.04.2026 द्वारा सहयोग राशि की सीमा में वृद्धि करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं :-

भामाशाह व प्रेरक आवेदन के सम्बन्ध में सामान्य दिशा-निर्देश-

01. शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) अवधि में सहयोग देने वाले दानदाता/भामाशाह को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में निम्न प्रकार सम्मानित किया जाना है-

(अ) शिक्षा विभूषण - एक करोड़ रुपये या अधिक राशि।

(ब) शिक्षा भूषण - 30 लाख रुपये या 30 लाख से अधिक व 1 करोड़ रुपये से कम राशि

तक।

इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) अवधि में सहयोग देने वाले दानदाता/भामाशाह को जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में निम्न प्रकार से सम्मानित किया जाना है-

(स) शिक्षा श्री-एक लाख रुपये या अधिक तथा 29,99,999 रुपये तक।

02. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा संस्कृत शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के राजकीय विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के संबंध में ऐसे दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थाओं के लिए सम्मान समारोह से संबंधित समस्त कार्य नोडल अधिकारी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाना है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा समारोह आयोजन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

RajKaj Ref No.:

23487834

M e-Sign



03. वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) हेतु भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को भी निम्नानुसार राज्य व जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा-

(अ) राज्य स्तरीय प्रेरक सम्मान- 50 लाख या 50 लाख से अधिक के कार्य करवाने हेतु प्रेरित करने करने वाले प्रेरक।

(ब) जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान- 5 लाख रुपये एवं अधिक तथा 49,99,999 रु. तक के कार्य करवाने हेतु प्रेरित करने वाले प्रेरक।

दानदाता द्वारा भामाशाह सम्मान हेतु किये गये आवेदन में संबंधित प्रेरक का नाम प्रेरित की गई राशि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने की स्थिति में ही आवेदन पर विचार किया जायेगा। यदि किसी प्रेरक ने एक से अधिक दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किया है तो उनके द्वारा प्रेरित भामाशाहों के कुल सहयोग की राशि 50 लाख रुपये एवं इससे अधिक होने एवं प्रेरक द्वारा प्रेरित भामाशाह हेतु आयोजित समारोह में सम्मान के लिए चयनित होने पर ही प्रेरक का सम्मान राज्य स्तर हेतु चयन किया जायेगा।

04. भामाशाह व प्रेरक हेतु राशि का निर्धारण भामाशाह द्वारा किये गये आवेदन में वर्णित विकास कार्य/राशि की प्रमाणित राशि के आधार पर किया जावेगा ना कि आवेदित राशि के आधार पर।

05. इस वर्ष आयोजित होने वाले राज्य/जिला स्तरीय सम्मान समारोह में दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्मित शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रूपमें बिन्दु संख्या 01 में वर्णित धनराशि का सहयोग किया है, राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान हेतु पात्र होंगे तथा बिन्दु संख्या 03 के अनुसार प्रेरित करने वाले प्रेरक राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान हेतु पात्र होंगे।

06. भामाशाह/प्रेरक द्वारा दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा तथा कार्यपूर्णता की दिनांक के आधार पर वित्तीय वर्ष निर्धारित होकर गणना की जाएगी। कार्य पूर्णता हेतु संस्था द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र तथा साज सामान की स्थिति में विद्यालय सुपुर्दगी की दिनांक के आधार पर गणना की जावेगी।

07. एक भामाशाह अथवा प्रेरक द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए एक ही आवेदन किया जा सकेगा। इस हेतु सभी विद्यालयों में सभी प्रकार सहयोग को एक ही आवेदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा। यदि एक से अधिक भामाशाह द्वारा एक ही प्रेरक का चयन किया है तो भी प्रेरक द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

08. यदि दानदाता ने भूमि दान कर सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो उनके द्वारा भवन/भूमि का विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशंसित कर नहीं भिजवाये जावें। ऐसी स्थिति में विद्यालय भवन का विद्यालय को सुपुर्दगी पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा

जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं भवन की भूमि सहित सम्पूर्ण लागत राशि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए।

09. यदि दानदाता ने विद्यालय राजकीय भूमि पर सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो विद्यालय भवन का विद्यालय को सुपुर्दगी पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं भवन की भूमि सहित सम्पूर्ण लागत राशि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए। **इस हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अति. जिला परियोजना समन्वयक अपने क्षेत्र में वित्तीय वर्ष (01.04.2025 से 31.03.2026) में हुए कार्य की मॉनिटरिंग कर भामाशाहों व प्रेरकों से सम्पर्क कर आवेदन करवाना सुनिश्चित करेंगे।**
10. यदि किसी दानदाता ने पूर्व में निर्मित भवन/भूमि दान में दी है तो दान में दिए गए भवन/भूमि के दानपत्र की प्रति के साथ उक्त भवन/भूमि की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमानित लागत विवरण की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। ऐसी स्थिति में यदि विधिवत् दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अनुशंसित कर नहीं भिजवाये जावें।
11. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संबंधित विद्यालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साज सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है।
12. सिविल के कार्यों के मूल्यांकन के संबंध में संबंधित जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, कार्यालय समग्र शिक्षा के सिविल शाखा से सहयोग लिया जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी। इस कार्य हेतु अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, कार्यालय समग्र शिक्षा अपने जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।
13. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय मूल दानदाता के ही हों। इनका सम्मान उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावे एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
14. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट, संस्था या कंपनी है तो इन्हें दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम से ही दिया जाएगा। ट्रस्ट, संस्था या कंपनी किसी भी कार्मिक/व्यक्ति को सम्मान लेने हेतु अधिकृत कर सकेंगी।
15. मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में वर्णित राशि के अनुसार विद्यालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य/नकद आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे।
16. भामाशाहों के प्रस्ताव के साथ संबंधित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित दस्तावेज/सहयोग विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

17. कतिपय ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक दानदाताओं ने निर्धारित राशि का सहयोग किया है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित दानदाता से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें कि किस भामाशाह को सम्मानित किया जाना है। विभाग द्वारा केवल एक दानदाता को ही सम्मानित किया जायेगा यदि एक से अधिक दानदाताओं ने संयुक्त रूप से सहयोग किया है तो दानदाता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर ही उनके द्वारा सहमत दानदाता को सम्मानित किया जावेगा। प्रशस्ति पुस्तिका में सम्मानित होने वाले दानदाता का ही फोटो एवं परिचय प्रकाशित किया जावेगा।
18. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(7) शिक्षा- /2014 दिनांक 11.07.17 के द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु सीएसआर के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यदान कोष की स्थापना की गई है। इस योजनान्तर्गत भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में करवाये गये विकास कार्यों के लिए योगदान करने एवं निर्धारित पात्रता पूरी करने पर भामाशाह सम्मान समारोह हेतु भी पात्र होंगे।
19. दान एवं सहयोग राशि के लिए एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में किये गये सहयोग/दान को एक साथ वर्गवार अंकित किया जा सकेगा।
20. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सम्बन्धित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को लिखित में उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण सम्बन्धित संस्थाप्रधान को उपलब्ध करवाये जाने पर संस्था-प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर की जायेगी तथा सही पाये जाने पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में सम्मानित किये जाने हेतु प्रेरक के नाम की अनुशंषा की जायेगी।
21. निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के फॉर्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने आवश्यक है। आधे-अधूरे, अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा का होगा। अतः हर संभव प्रयास किया जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि सभी भामाशाहों को इस संबंध में सूचित किया गया है।
22. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जनप्रतिनिधि को प्रेरक के रूप से सम्मान हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जावें। दानदाता द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं किया जावे।
23. **भामाशाह एवं प्रेरकों को सम्मान हेतु चयन बाबत निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।** यदि किसी भामाशाह एवं प्रेरक का प्रस्ताव सम्मान हेतु चयनित नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और न ही चयन नहीं किये जाने के कारण से उन्हें सूचित किया जावेगा।
24. जिला स्तर पर भी भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन 29.06.2026 को ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भामाशाह/प्रेरक आवेदन की तिथियां व आवेदन प्रक्रिया

01. निम्न तय कार्यक्रम अनुसार भामाशाह व प्रेरक अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद भामाशाह व प्रेरकों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। प्राप्त आवेदनों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिला व राज्य स्तर से कार्य सम्पादन किया जावेगा।

क्र. स.	प्रस्तावित कार्य योजना	कब से कब तक	
1	भामाशाहों से सम्पर्क स्थापित कर योजना से अवगत करवाते हुए आवेदन करने हेतु प्रेरित करना एवं भामाशाहों व प्रेरकों द्वारा आवेदन करने हेतु समय अवधि	30.04.2026	19.05.2026
2	आवेदन जांच जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जि.शि. अ. प्रा.शि. एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कर निदेशालय को अग्रेषित करना	01.05.2026	20.05.2026
3	प्राप्त आवेदनों की निदेशालय में अनुभाग स्तर पर जांच	21.05.2026	01.06.2026
4	निदेशालय स्तर पर चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् सूची आदि तैयार करना	25.05.2026	05.06.2026
5	चयनित/पात्र भामाशाहों/प्रेरकों की सूची अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित व संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर को उपलब्ध	08.06.2026	10.06.2026
6	जिला व राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह आयोजन (जिला मुख्यालय व राजधानी मुख्यालय पर)	29.06.2026	

02. भामाशाह सम्मान समारोह 2026 हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों हेतु किये गये सहयोग हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल (www.gyansankalp.nic.in) के माध्यम से वित्तीय वर्ष अनुसार केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किये गए सहयोग हेतु ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

03. कॉलेज शिक्षा/संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालयों/विद्यालयों में उपरोक्त मानदण्डानुसार सहयोग करने वाले दानदाताओं व प्रेरित करने वाले प्रेरकों के आवेदन वित्तीय वर्ष अनुसार ऑफलाईन ही निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। वे ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित भामाशाह/प्रेरक हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे।

04. भामाशाह/प्रेरक के लिए ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन प्रपत्र भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश संलग्न है जो कि ज्ञान संकल्प पोर्टल (www.gyansankalp.nic.in) पर उपलब्ध भी है।

भामाशाह/प्रेरक आवेदन को प्राप्त करने से अनुमोदन तक की प्रक्रिया-

भामाशाह/प्रेरकों द्वारा कार्यक्रम अनुसार निम्न कार्य सम्पादित किये जाएंगे-

01. भामाशाह/दानदाता द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना।

02. भामाशाह/दानदाता द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड करना व प्रोजेक्ट अनुसार प्रेरकों को नामित करना।
03. आवेदन करने के पश्चात सबमिट विकल्प पर क्लिक करना अत्यावश्यक है अन्यथा आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
04. प्रेरक नामित होने पर ही प्रेरक द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना तथा सबमिट करने के पश्चात ही आवेदन पूर्ण माना जायेगा।

विद्यालय/ब्लॉक/जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा तय कार्यक्रम अनुसार निम्न कार्य सम्पादित किये जाएंगे—

● **भामाशाह/दानदाता आवेदन के सम्बन्ध में—**

01. ज्ञान संकल्प पोर्टल से जिले के नोडल अधिकारी द्वारा जिलेवार प्राप्त आवेदनों को अपने लॉगिन के माध्यम से दस्तावेज सहित डाउनलोड करना।
02. जिला नोडल द्वारा आवश्यकतानुसार संस्था प्रधानों को ऑफलाईन प्रेषित कर कार्य व दस्तावेज का प्रमाणीकरण करवाना व विद्यालय वार अनुशंसा प्राप्त करना।
03. जिले नोडल द्वारा अपने लॉगिन पर आवेदनों का विद्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जांच कर निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन व अनुशंसा करना तथा उसके उपरान्त निर्णयानुसार हस्ताक्षरित आवेदनों को अपने लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड कर अग्रेषित करना। (केवल आवेदन व निर्णय के सम्बन्ध दस्तावेज को ही अपलोड किया जाना है। भामाशाह/दानदाता द्वारा संलग्न दस्तावेज को नहीं क्योंकि वे पहले से पोर्टल पर उपलब्ध है।)
04. यदि किसी भी भामाशाह द्वारा एक प्रोजेक्ट में एक जिले से ज्यादा के विद्यालयों को समाहित किया है तो प्रत्येक जिले द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों की अनुशंसा कर अग्रेषित करना।
05. जिलों से अग्रेषित आवेदन राज्य स्तर पर निदेशालय पर प्राप्त होंगे। राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा ऑफलाईन राज्य सरकार को प्रेषित करना।

● **प्रेरक आवेदन के सम्बन्ध में—**

06. ज्ञान संकल्प पोर्टल से जिले नोडल द्वारा प्रेरकों हेतु प्राप्त आवेदनों को अपने लॉगिन के माध्यम से दस्तावेज सहित डाउनलोड करना।
07. जिले नोडल द्वारा अपने लॉगिन पर प्रेरक आवेदनों का विद्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जांच कर निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन व अनुशंसा करना तथा उसके उपरान्त निर्णयानुसार हस्ताक्षरित प्रेरक आवेदनों को अपने लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड कर अग्रेषित करना। (केवल आवेदन व निर्णय के सम्बन्ध दस्तावेज को ही अपलोड किया जाना है। प्रेरकों द्वारा संलग्न दस्तावेज को नहीं क्योंकि वे पहले से पोर्टल पर उपलब्ध है।)
08. यदि विभिन्न भामाशाहों द्वारा एक प्रोजेक्ट में एक जिले से ज्यादा के विद्यालयों को समाहित किया है तो प्रत्येक जिले द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों की अनुशंसा कर अग्रेषित करना।
09. जिलों से अग्रेषित आवेदन राज्य स्तर पर निदेशालय पर प्राप्त होंगे। राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा ऑफलाईन/ऑनलाईन राज्य सरकार को प्रेषित करना।

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तय कार्यक्रम अनुसार निम्न कार्य सम्पादित किये जाएंगे—

01. राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (नोडल अधिकारी) पर जिलों से प्राप्त ऑनलाईन/ऑफलाईन अग्रेषित आवेदन प्राप्त होंगे। प्राप्ति पश्चात् राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा चयनित/पात्र भामाशाहों/प्रेरकों की सूची अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित करना।
02. आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से समारोह समाप्ति तक की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करना तथा आवश्यकतानुसार निर्देश प्रदान करना।

भामाशाह व प्रेरक आवेदन हेतु सहायता केन्द्र—

भामाशाह द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के सहयोग हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् कार्यालय जयपुर को ई-मेल bhamashahsamman@gmail.com पर किया जा सकेगा।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:—

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक कार्यालय हाजा, राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।